UPBL010034622026

Additional District and Sessions Judge - 8, Ballia

पीठासीन अधिकारी– (Sri Pratham Kant), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP02390**

प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र सं०–1493/2026

परवेज अली पुत्र जहांगीर ,साकिन–भरौली , थाना–नरही ,जिला–बलिया ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

उत्तर प्रदेश सरकार

.....विपक्षी

मु०अ०सं०–122/2026
धारा–376(2)(एन)भा०दं०सं०व
धारा– 5 एल /6 पॉक्सो एक्ट
थाना–सहतवार, जिला–बलिया ।

दिनाँक–10.08.2026

प्रार्थी/अभियुक्त परवेज अली के ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मु०अ०सं०–122/2026, धारा–376(2)(एन)भा०दं०सं० व धारा–5 एल/6 पॉक्सो एक्ट थाना–नरही , जिला–बलिया के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है ।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदक के भाई पप्पू कुरैशी पुत्र जहांगीर द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है ।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रश्नगत मामले की वादिनी मुकदमा /पीडिता पुत्री ईशा कुरैशी द्वारा संबंधित थानाध्यक्ष, थाना–नरही , बलिया को इस आशय का लिखित प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया कि वादिनी /पीडिता पुत्री ईशा कुरैशी ग्राम भरौली खास थाना नरही जिला बलिया की निवासिनी है । वादिनी/पीडिता के ही गांव के परवेज अली पुत्र जहांगीर कुरैशी से उसकी बातचीत पिछले 05 वर्ष से हाती थी । उसने वादिनी से शादी का वादा किया था और बोला था कि वह वादिनी से ही शादी करेगा । परवेज अली द्वारा शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध भी बनाया गया है । वह वादिनी के घर पर आकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था । वह वर्ष 2023 से शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बना रहा है । उसके द्वारा अंतिम बार दिनाँक 03.06.2026 को शारीरिक संबंध बनाया था । वादिनी शादी के लिए कह रही है तो शादी करने से मना कर रहा है । अतः मुकदमा दर्ज कर उचित कानूनी कार्यवाही की जाए ।

वादिनी के सूचना के आधार पर संबंधित थाना नरही में अभियुक्त परवेज अली के विरूद्ध धारा–376(2) (एन)भा०दं०सं० व धारा–5 एल/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत हुआ ।

दौरान विवेचना, विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त परवेज अली के विरूद्ध धारा–376(2) (एन)भा०दं०सं० व धारा–5 एल/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है ।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया

Digitally signed by Pratham Kant
Date: 2026.08.11 15:19:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र अन्य किसी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है । आवेदक दिनाँक–15.07.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है , आवेदक निर्दोष है उसके द्वारा 23 वर्ष की वादिनी मुकदमा के साथ कदापि शारीरिक संबंध शादी का झासा देकर नहीं बनाया गया है । वादिनी मुकदमा आवेदक के दुश्मनान से साजिश में होकर अपने परिजनों से मिलकर गलत आरोप लगाई है । आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है । उपरोक्त के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने की याचना की गई है ।

उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो)ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया तथा कथन किया कि अभियुक्त के विरूद्ध शादी का झांसा देकर बार– बार शारीरिक संबंध भी बनाया गया है ।

वादिनी मुकदमा के तरफ से प्रतिशपथ–पत्र दाखिल कर जमानत प्रार्थनापत्र का समर्थन किया गया है ।

मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया ।

पत्रावली के परिशीलन से यह प्रकट है कि अभियुक्त पर वादिनी मुकदमा के साथ बार–बार बलात्संग कारित करने व गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला करने का आरोप लगाया गया है । पीडिता ने अपने धारा–161 दं०प्र०सं० के बयान में कहा है कि, " मेरी उम्र 19 वर्ष है । मेरे ही गाँव के परवेज कुरैशी से मरी बातचीत 05 साल से हाती थी उसने शादी का वादा भी किया था और कहा था कि में तुमसे शादी करूँगा । परवेज शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाया और मेरे घर पर भी आकर शारीरिक संबंध बनाता था । अब शादी से इंकार कर रहा है । " पीडिता ने धारा–183 बी.एन.एस.एस. में बयान दिया है कि, " मेरी उम्र 19 वर्ष है । मेरी शैक्षणिक योग्यता कक्षा–12 वीं पास कर चुकी हूँ । मैं परवेज अली को पिछले पांच साल से जानती हूँ । परवेज अली ने मुझे शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाया है । दिनाँक 27.03.2023 को पहली बार मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया था और आखिरी बार दिनाँक 03.06.2026 को शारीरिक संबंध बनाया था । अब शादी से इंकार कर रहा है ।" पत्रावली पर विवेचक द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० हाई स्कूल परीक्षा–2024 प्रमाणपत्र–सह अंक पत्र संकलित किया गया है, जिसमें पीडिता की जन्मतिथि 01.01.2007 अंकित है । इस प्रकार पीडिता की आयु घटना की तिथि को लगभग 16 वर्ष 02 माह 26 दिवस थी । वादिनी द्वारा प्रतिशपथपत्र दाखिल कर कथन किया गया है कि लोगों के बहकावे में पुलिस से मिलकर बिना प्रथम सूचना रिपोर्ट को पढ़कर सुनाये बिना उक्त मुकदमा कायम करा दिया गया है । जबकि अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है । अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा गुण–दोष पर विचार किये बिना अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं प्रतीत होता है । तदनुसार आदेश पारित किया जाता है–

<u>आदेश</u>

प्रार्थी /अभियुक्त परवेज अली के ओर से प्रस्तुत यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र 122/2026, धारा–376(2)(एन)भा०दं०सं० व धारा–5 एल/6 पॉक्सो एक्ट थाना–नरही , जिला–बलिया निरस्त (Reject) किया जाता है ।

दिनांक–10.08.2026

(प्रथम कान्त)
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)
कोर्ट संख्या–8 बलिया ।

Steno-Ram sharan